

अज अदालत.....

सहायक कलक्टर (SDO)

मुकाम.....

बनाम दुमाराम

बनाम

दुमाराम गजधर

किस्म मुकदमा



1. आवेद 111, 128

नं.

00

सन्

2019

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26/2/19	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री <u>जगदीश गोपाल</u> ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा <u>111, 128</u> राजस्थान कायदाकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक <u>19.3.19</u> को पेश हो।</p>	
19/03/19	<p>प्रार्थी वकील उपस्थित। अन्वयार्थियों ने नोटिस तामील हुआ परत जिसे तामील पत्रावली हीमा गया। भीमान पीरामन आशिकारी किम पुनव इमरी के ब्यापक होने से मित्राल इलावा होकर आगामी दिनांक 09/05/19 के पेश हो।</p>	
09/05/19	<p>प्रार्थी वकील उपस्थित। अन्वयार्थियों कावजुड तामिल अनुउपस्थित। न्यायालय समय लीन वार आवाज लगाई गई अन्तिम आवाज 5.45 PM पर लगाई गई अन्वयार्थियों स्वयं या उनकी ओर से कोई अशिक्षता उपस्थित नहीं हुआ। लिहाजा उनके विरुद्ध एडव(म) अन्ववादी अमल में लाई जाली है।</p>	

प्राचीं साक्षिकता ही एडप्लीथ बडस दुनी बाई
प्राचीं हे साक्षिकता ने बलाभा ही प्राचीं व अशांचीं
जवों हे मध्य सीमाओं हे लेंडर इरम विवाह
रहला हे इसलिए प्राचीं हे काने व्यावसायी शेतों
हे चारों ओर पक्के नेष्यम स्थापित करवाना
आवश्यक हे इसलिए प्राचीं का नेष्यमवली कावेसन
स्वीकार हीमा जाडर नेष्यमवली कादेश हीमा जाले

मतः प्राचीं साक्षिकता डेनिफेशन

पर प्राचीं का नेष्यमवली कावेसन स्वीकार हीमा
जाडर लक्ष्मीलक्षर बाधुडु हे डमिशान निधुन
हीमा जाला हे व शोका हीमा जाला हे कि
काय स्वयं या काने साक्षिकता हीमा ही
आं अभिलेख निरिस्तु हे प्राचीं हे व्यावसायी
शेतों ही पक्की नेष्यमवली मोडे पर डमिशान
शुक्ल जमाडराडर हे, पालना रिपोर्ट आप्त डेने
पर शामिल पभावली ही पभावली जमल शुका
डोडर डज नाम्ब हे डम ही दाखिल इकलानी

उपलब्ध अधिकारी बाय
खिला - बाधुनेर

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु

क्रमांक / रा.आवे. / 2019 / 211

दिनांक:- 09/05/19

प्रार्थी

बनाम

विप्रार्थीगण

1. खुमाराम पुत्र वागाराम जाति जाट वगैरा 6
निवासी लीलासर कोलू
तहसील बायतु जिला बाड़मेर

1. दमाराम पुत्र हीराराम वगैरा 25
निवासी निवासी लीलासर कोलू
तहसील बायतु (बाड़मेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या / 19

आदेश

मौजा लीलासर पटवार हल्का कोलू तहसील बायतु जिला बाड़मेर के खेत खसरा नम्बर क्रं. 606, 610 रकबा क्रं. 132.00, 15.14 बीघा की भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है। कि वे स्वयं या अपने अधिनस्थ किसी भी भूअ. निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर शुल्क जमा करा कर करें तथा अपेक्षित होने पर थाना प्रभारी गिड़ा / बायतु / नागाणा से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।



उपखण्ड अधिकारी बायतु

दिनांक:- 09.5.2019

उपखण्ड अधिकारी बायतु

दिनांक:- 09/05/19

क्रमांक / रा.आवे. / 2019 / 212 - 216

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु।
2. पटवारी कोलू को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री खुमाराम वगैरा
4. विप्रार्थी श्री दमाराम वगैरा
5. थानाधिकारी, पुलिस थाना, गिड़ा / बायतु / नागाणा।

उपखण्ड अधिकारी बायतु -
जिला - बाड़मेर

09.5.2019

उपखण्ड अधिकारी बायतु